न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण सं0 : GCMS No 2022 / 318
दायरा तिथि : 18.08.2022
आदेश तिथि : 08-12-2022

प्रार्थीगण :–

1. अनीताकंवर राजावत पत्नि महेन्द्र प्रतापसिंहजी राजावत
2. दुर्गाकंवर राजावत पत्नि करूनदत्तसिंहजी राजावत जाति

निवासीगण भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बावत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 08-12-2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा के खसरा नंबर 284 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से **ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा** के खसरा नंबर 282 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म गै. मु. पाल राजकीय सिवाय चक भूमि मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में **पीले** रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

प्रकरण में तहसीदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट अपने कार्यालय पत्रांक / राजस्व / 2022 / 2862 दिनांक 06.10.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की :–

1. यह हैं कि ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 284 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी श्रीमति अनीता कंवर राजावत पत्नी श्री महेन्द्रप्रताप राजावत जाति राव व दुर्गा कंवर राजावत पत्नि करूनदत्तसिंह राजावत राव निवासी भीटवाडा के नाम से खातेदारी दर्ज हैं । आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान आवेदक प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन करता है।
2. यह हैं कि खसरा नंबर 282 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म गै.मु. पाल राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। व पुराने राजस्व रेकर्ड मिलान क्षैत्रफल, जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि इस खसरे के पुराने खसरा नंबर 657 है, जिसकी किस्म बारानी प्रथम है जो भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में नहीं आती है। एवं आस पास कोई तालाब, नदी, नाला बहाव क्षैत्र इत्यादि नहीं होने से उक्त खसरे को रास्ते हेतु प्रस्तावित किया गया है।
3. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरा बार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
01	282	0.42 हैक्ट	गै.मु. पाल	8X118=944वर्गमीटर	सिवाय चक राजस्थान सरकार

4. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भीटवाडा की डी.एल.सी. दर 217539/– प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थी की मांग अनुसार भीटवाडा के खसरा नंबर 282 मेंसे तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार धारा 251(ए) के तहत रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

पेज लगातार.........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 : GCMS No 2022/318

अनवान श्रीमति अनिता कंवर वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली में प्रार्थीगण द्वारा धारित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 284 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से ग्राम **भीटवाडा** के खसरा नंबर 282 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म गै.मु. पाल राजकीय सिवायचक भूमि मेंसे 944 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70(i)(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुये तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/2022/2862 दिनांक 06.10.2022 में वर्णित ट्रैक से **उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्रतिकर राशि अग्रांकितानुसार निर्धारण की जाती है।

खसरा नंबर	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर में)	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	D.L.C.दर 217539/–रू0 प्रति हैक्टर की दर से (प्रतिवर्गमीटर)	वसूल देय प्रतिकर राशि D.L.C.दर की दुगनी	नाम खातेदार
282	0.42 हैक्ट	8X118=944 वर्गमीटर	22.00	20768X2=4536 रूपये	सिवाय चक राजस्थान सरकार

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री पायगुल स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
बाली, जिला-पाली (राज.)
उपखण्ड अधिकारी बाली

क्रमांक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3945-49

दिनांक 08-12-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, भीटवाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. श्रीमति अनिता कंवर राजावत पत्नि श्री महेन्द्रप्रतापसिंह राजावत जाति राव नि.भीटवाडा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner